राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रहलाद बनाम नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली कर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी व उसकी माता स्व. श्रीमति कल्याणी देवी एवं भाई पुरुषोतम रेस्पो. संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा जनरल कैम्प कोर्ट में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 01/07/2016 पारित कर वादीगण का वाद विधि कि मंशा के अनरूप नही होना धारित कर ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी संख्या 3 पुरुषोत्तम द्वारा दिनांक 24/12/2009 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर माधोलाल को मूलचन्द पुत्र चुन्नीलाल के बचपन में ही गौद चले जाने के तथ्य की स्वीकृति कर वाद को अपने तक विड्रा किये जाने की ईस्तदुआ की गयी। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल सहमति पत्र दिनांक 28/08/1995 के अवलोकन से भी इस तथ्य की पुष्ठी होती है कि माधोलाल मूलचन्द के गौद चला गया था, जबकि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि माधोलाल उर्फ़ महादेव के वारिस व उत्तराधिकारी होने के आधार पर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में प्रकरण के तथ्यों का किया गया विवेचन/विश्लेषण न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत जाहिर होता है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/07/2016 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर